रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1984/ज्येष्ठ 18, 1906

No. 271] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 8, 1984/JYAISTHA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1984

(काफी नियंत्रण)

का. आ. 436 (अ).—केन्द्रीय सरकार, काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काफी नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काफी (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. काफी नियम, 1955 में,—

(1) नियम 2 के खंड (2) में, "50 एकड़ से कम नहीं होगा" अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 एकड़ से कम नहीं होगा" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(2) नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) दस सदस्य काफी उपजाने वाले उद्योग का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें से तीन बड़े उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सात छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, परन्तु ऐसे सदस्यों में से कम से कम तीन रोबस्टा उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(ग) तीन सदस्य काफी व्यापार हित का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो सदस्य संशोधन स्थापन का प्रतिनिधित्व करेंगे, चार सदस्य श्रमिक हित का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो सदस्य उपभोक्ता हित का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो सदस्य नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (क) में उल्लिखित राज्यों से भिन्न काफी उपजाने वाले राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे । एक सदस्य इंस्टेंट काफी के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करेगा और एक सदस्य किसी अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय से कोई प्रतिष्ठित

वैज्ञानिक अथवा काफी के विपणन, प्रबंध या संवर्धन से सम्बद्ध कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।'' ।

3. नियम 45 के उपनियम (2) के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(2) बोर्ड, किसी भी समय, संशोधन स्थापन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी अनुज्ञप्ति को उस दशा में रद्द कर सकेगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि संसाधन स्थापन ने अधिनियम के या इन नियमों के उपबंधों का अथवा जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का भंग किया है ।'' ।

[फा. सं. 9/3/84-प्लांट (बी)]

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1984

(COFFEE CONTROL)

S.O. 436(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Ruls, 1955 nmely :—

1. (1) These rules may be called the Coffee (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Rules, 1955,—

(1) In clause (11) of rule 2, for the words "not less than 50 acres" the words "not less than 25 acres" shall be substituted.

(2) In sub-rule (2) of rule 3, for clauses (b) and (c) the following shall respectively be substituted namely :—

"(b) ten members shall represent the coffee growing industry of whom three shall represent large growers and seven shall represent the small growers, provided that not less than three of such members shall represent the Robusta growers.

(c) Three members shall represent the coffee trade interests, two members shall represent the curing establishment, four members shall represent the interests of labour, two members shall represent the interests of consumers, two members shall represent the interests of coffee growing states other than those mentioned in clause (a) of sub-rule (2) of rule 3, one shall represent the manufacturers of instant coffee and one member shall be an eminent scientist from a research institute or an agricultural university or an eminent personality in marketing, management or promotion of coffee.".

3. In sub-rule (2) of rule 45, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) The Board may, at any time, after giving a reasonable opportunity to the curing establishment to be heard, cancel a licence, if it is satisfied that the curing establishment has committed a breach of the provisions of the Act or of these rules or of the conditions of licence issued.".

[File No. 9|3|84-Plant(B)]
J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984